



-प्रेस नोट-

दिनांक: 14.07.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा हत्या का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही**  
**से घटना में प्रयुक्त लोहे का पाईप (आलाकत्ल) बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 13.07.2024 को वादी श्री जयराज पंवार पुत्र स्व० धनेन्द्र कुमार निवासी मौ० बंजारा कलां थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर थाना रामपुर मनिहारन पर मु०अ०सं० 227/24 धारा 109/103(1)/3(5) बीएनएस बनाम जुनैद पुत्र इरशाद निवासी मौ० महल कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर व दो व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। आदेश का अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारन के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 13.07.2024 को मात्र 06 घण्टे में घटना का सफल अनावरण करते हुए मुकदमा उपरोक्त में नामजद जुनैद पुत्र इरशाद निवासी मौ० महल कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन, सहारनपुर की नामजदगी गलत पायी गयी। विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्त **मौ० समीर पुत्र तहसीन अहमद निवासी अमर उजाला कार्यालय के पास शॉपप्रिक्स माल के पास थाना ब्रहमपुरी जनपद मेरठ** को घटनास्थल के पास टेन्ट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही से 01 चोखुटा नीले रंग का लोहे का पाईप आलाकत्ल बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 109/3(5) बीएनएस का लोप किया गया। अभियुक्त मौ० समीर उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त मौ० समीर ने पूछने पर बताया कि दिनांक 12-07-2024 की रात्रि 11 बजे मैंने व मेरे साथी चौकीदार दिल बहादुर नेपाली दो-दो पच्चे शराब के फ्रुटी के लेकर आये थे एक पच्चा मैंने दिल बहादुर का चोरी कर लिया था इसी बात को लेकर हम दोनो में विवाद हो गया था। हम दोनो ने शराब पी ली थी फिर रात्रि 2 बजे के करीब दिल बहादुर ने मेरे सिर में कुझ ठोस चीज मारी मेरे सिर में खून निकलने लगा फिर मैंने गुस्से में आकर वही पास पडे लोहे के पाइप से दिल बहादुर के सिर व शरीर पर वार किया तब तक मारता रहा जब तक वह मर नहीं गया। डर के कारण लोहे का पाईप जिससे मैंने दिलबहादुर को जान से मारा था। वह मैंने वही पास में ही घास में छिपा दिया था।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

मौ० समीर पुत्र तहसीन अहमद निवासी अमर उजाला कार्यालय के पास शॉपप्रिक्स माल के पास थाना ब्रहमपुरी जनपद मेरठ

**बरामदगी का विवरण-**

01 चोखुटा नीले रंग का लोहे का पाईप आलाकत्ल

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी -**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
2. उ०नि० श्री जसबीर सिंह थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
3. का० 2181 ऋषि कुमार थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक- 14.07.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.07.2024 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त संजय पुत्र रुपराम निवासी मौ0 खेडा कस्बा सुल्तानपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद संख्या—3084/23 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम में मौ0 खेडा कस्बा सुलातनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में मौके पर परिवारजनों को अवगत कराया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

संजय पुत्र रुपराम निवासी मौ0 खेडा कस्बा सुल्तानपुर थाना चिलकाना सहारनपुर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:**

1. उ0नि0 श्री करन नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. का0 2261 राजेन्द्र राणा थाना चिलकाना सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक - 14.07.2024

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा NBW वारण्टी को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, सहारनपुर के निर्देशन में दिनांक 10.07.2024 को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा **NBW वारण्टी सुहैल पुत्र बसीर नि० मन्दिर वाली गली चाँद विहार मौ० घोसियो वाला खानआलमपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर उम्र 22 वर्ष सम्बन्धित एसटी नं० 2337/23 मु०अ०सं० 59/23 धारा 306 भादवि चालानी थाना जनकपुरी को गिरफ्तार किया गया। वारण्टी को समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।**

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सुहैल पुत्र बसीर नि० मन्दिर वाली गली चाँद विहार मौ० घोसियो वाला खानआलमपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उनि० श्री अशोक शर्मा, थाना जनकपुरी, स०पुरा
2. है०कां० 103 राजेन्द्र, थाना जनकपुरी, स०पुरा



-प्रेस नोट-

दिनांक: 14-07-2024

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा नकबजनी के 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 03 ओम पीली धातु, 01 चैन पीली धातु, पैंतीस हजार रुपये नगद व 02 मोटरसाईकिल बरामद ।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट प्रयवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार के कुशल नेतृत्व थाना गागलहेडी पर तैनात उ0नि0 श्री प्रवेश शर्मा द्वारा मय पुलिस टीम के नकबजनी के वांछित 02 अभियुक्तगण को भगवानपुर रोड पर हरियाबाँस फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार किया गया ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त सागर पुत्र सुशील नि0 ग्राम हरेटी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर**

अभियुक्त के कब्जे से 01 ओम पीली धातु व 01 चैन पीली धातु तथा बीस हजार रुपये नकद बरामद हुए ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त विकास पुत्र प्रमोद निवासी मेघ झप्पर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर**

अभियुक्त के कब्जे से से 02 ओम पीली धातु तथा पन्द्रह हजार रुपये नकद बरामद हुए ।

**पूछताछ करने पर** अभियुक्तगण ने बताया कि हम दोनों व हमारे साथी अनिल पुत्र जसबीर निवासी पीर माजरा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर व संदीप पुत्र रुल्हा निवासी ग्राम हरेटी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर द्वारा माह मार्च में होली त्यौहार के आसपास कस्बा गागलहेडी में फातिमा मस्जिद वाली गली में एक बन्द मकान में आभूषण चोरी किये थे । उसके बाद लोकसभा चुनाव वाली रात को गांव दीनारपुर में चर्च के पास एक बडे बन्द मकान से आभूषण चोरी व रुपये चोरी किये थे तथा इसके बाद कस्बा गागलहेडी में हम लोगों ने मेला देखने के बाद पिछले महीने बन्द मकान में चोरी की थी जिसमें हमें आभूषण व रुपये मिले थे तथा इसके बाद इसी महीने की एक तारीख की रात में एक बन्द मकान में चोरी की थी ।

### **आपराधिक इतिहास अभियुक्त सागर पुत्र सुशील नि0 ग्राम हरेटी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर**

1. मु0अ0सं0 57/24 धारा 457/380 भादंवि थाना गागलहेडी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 67/24 धारा 457/380 भादंवि थाना गागलहेडी सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 107/24 धारा 457/380 भादंवि थाना गागलहेडी सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 119/24 धारा 331(4)/305ए बीएनएस थाना गागलहेडी सहारनपुर
5. मु0अ0सं0- 162/22 धारा- 342/363/368/376/506 भादवि व 16/17 व 5/16 पोक्सो एक्ट थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

### **आपराधिक इतिहास अभियुक्त विकास पुत्र प्रमोद निवासी मेघ झप्पर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर**

1. मु0अ0सं0 57/24 धारा 457/380 भादंवि थाना गागलहेडी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 67/24 धारा 457/380 भादंवि थाना गागलहेडी सहारनपुर

3. मु0अ0सं0 107/24 धारा 457/380 भादवि थाना गागलहेडी सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 119/24 धारा 331(4)/305ए बीएनएस थाना गागलहेडी सहारनपुर
5. मु0अ0सं009- 592/22 धारा- 269 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर

**बरामद माल का विवरण:-**

- 1- तीन ओम पीली धातु
- 2- एक चैन पीली धातु
- 3- पैंतीस हजार रूपये नगद
- 4- एक मोटरसाइकिल यामाहा आर-15 रजि0 नं0 UP11CP5254
- 5- एक मोटरसाइकिल हीरो स्पलेंडर रजि0 नं0 UP11CK9021

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री प्रवेश शर्मा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री डैनी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
5. है0का0 831 सोनू ढाका थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
6. का0 398 नरदेव कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
7. का0 2482 विनयकान्त थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर



दिनांक:- 14.07.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना सरसावा पुलिस 02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मो0 साइकिल मय फर्जी नम्बर प्लेट बरामद ।**

अवगत कराना है कि दिनांक 10.07.2024 को वादी श्री विजय कुमार चौहान पुत्र नौरंगी चौहान निवासी ग्राम सिखडी थाना दुल्लहपुर जिला गाजीपुर की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 176/24 धारा 303(2) बीएनएस बाबत वादी की मो0साइकिल को किन्ही अज्ञात चोरो के द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री रामबीर सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 14.07.2024 को चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1.रवि कुमार उर्फ मोनू पुत्र चन्द्रचुहण सिंह निवासी ग्राम बलवन्तपुर थाना सरसावा स0पुर व 02.अनमोल पुत्र देवकुमार निवासी मौहल्ला कादियान कस्बा सरसावा थाना सरसावा स0पुर 01 मो0साइकिल रजि0 न0 UP32KZ2139 इंजन न0 JA05EGK9G04160 चैसिस न0 MBLJAW094K9G63785 व एक नम्बर प्लेट न0 HR02T2540 के साथ जैन समाधि के पास से गिरफ्तार किया गया है। बरामद मो0 साइकिल थाना सरसावा के मु0अ0सं0 176/24 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित है। बरामदगी के आधार पर धारा 336(2), 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

**पूछताछ करने पर** अभियुक्तगण रवि एवं अनमोल उपरोक्त द्वारा बताया कि दिनांक 10.07.2024 को दिन मे करीब 11.00 बजे यह मोटरसाईकिल हम दोनो ने इब्राहिमी नवनिर्मित रेलवे पुल के नीचे से चोरी की थी जिस पर लगी नम्बर प्लेट UP35KZ2139 को हमने तोडकर फेक दिया है और दूसरी फर्जी नम्बर प्लेट HR02T2540 लगाकर हम लोग चला रहे थे जिससे कि हम पकडे न जा सके। हम दोनो नशे के आदि है। नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए चोरी कर लेते है। आज हम इस मो0सा0 को बेचने के लिए जा रहे थे।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

- 1.रवि कुमार उर्फ मोनू पुत्र चन्द्रचुहण सिंह निवासी ग्राम बलवन्तपुर थाना सरसावा स0पुर
- 2.अनमोल पुत्र देवकुमार निवासी मौहल्ला कादियान कस्बा सरसावा थाना सरसावा स0पुर

**अभियुक्त रवि कुमार उर्फ मोनू पुत्र चन्द्रचुहण का अपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 335/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 338/2021 धारा 414/465 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 176/2024 धारा 336(2),303(2) 317(2) बीएनएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

**अभियुक्त अनमोल पुत्र देवकुमार का अपराधिक इतिहास**

1. मु0अ0सं0 176/2024 धारा 336(2),303(2) 317(2) बीएनएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 14.07.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

## **थाना सदर बाजार सहारनपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की 01 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट की वांछित **अभियुक्ता काली पत्नी स्व० अनीस उर्फ पीरू निवासी हसमत कालौनी थाना मण्डी सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया** अभियुक्ता काली नि० उपरोक्त थाना जनकपुरी पर पंजीकृत मु०अ०सं० 113/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट की वांछित एवं एक अभ्यस्त अपराधी है जिस पर जनपद के विभिन्न थानों पर लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### **गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता:-**

**श्रीमती काली पत्नी स्व० अनीस उर्फ पीरू निवासी हसमत कालौनी थाना मण्डी सहारनपुर**

### **अभियुक्ता काली उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु०अ०सं० 11/23 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. मु०अ०सं० 67/23 धारा 120बी/380/411 भादवि थाना मण्डी सहारनपुर
3. मु०अ०सं० 68/023 धारा 120बी/380/411 भादवि थाना मण्डी सहारनपुर
4. मु०अ०सं० 48/023 धारा 120बी 414 भादवि थाना जनकपुरी सहारनपुर।
5. मु०अ०सं० 113/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
6. मु०अ०सं० 62/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
7. मु०अ०सं० 101/22 धारा 380/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
8. मु०अ०सं० 374/22 धारा 380/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
9. मु०अ०सं० 439/22 धारा 380/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
10. मु०अ०सं० 443/22 धारा 380/411/454 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
11. मु०अ०सं० 595/22 धारा 380/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
12. मु०अ०सं० 731/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- 1 व०उ०नि० श्री विपिन कुमार त्यागी थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. म०उ०नि० दीक्षा यूटी थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
3. है०का० चालक 832 जितेन्द्र थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
4. म०का० 1543 आशा रानी थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 14.07.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद ।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध नियन्त्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाकर लगातार कड़ी कार्यावाही की जा रही है। कार्यावाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में एवं श्री सुबे सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के कुशल नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आज दिनांक 14.07.2024 को चैकिंग के दौरान अभियुक्त **साजिद पुत्र बहार अहमद नि० पीर वाली गली न० 25 शकूर मस्जिद के पास थाना मंडी जिला सहारनपुर** को कोर्ट रोड पुल के पास से 01 अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर **मु०अ०सं० 388/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को समय से मान० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त साजिद उपरोक्त द्वारा बताया गया कि यह चाकू शोकिया अपने पास लोगों में दहशत बनाने व रूतबा दिखाने के लिए रखते हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-**

साजिद पुत्र बहार अहमद नि० पीर वाली गली न० 25 शकूर मस्जिद के पास थाना मंडी जिला सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

01 नाजायज चाकू

**अभियुक्त साजिद का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु०अ०सं० 47/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर
2. मु०अ०सं० 59/22 धारा 380/411 भादवि थाना सदर बाजार ॥
3. मु०अ०सं० 74/22 धारा 379/420/467/468/471 भादवि थाना कुतुबशेर सहारनपुर
4. मु०अ०सं० 248/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. मु०अ०सं० 443/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर ।
6. मु०अ०सं० 416/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना थाना मण्डी सहारनपुर।
7. मु०अ०सं० 610/11 धारा 380/411 भादवि थाना मण्डी सहारनपुर।
8. मु०अ०सं० 249/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार ।
9. मु०अ०सं० 615/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार ।
10. मु०अ०सं० 388/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ०नि० श्री राहुल शर्मा थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. है० का० 283 हिमांशू थाना सदर बाजार सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 14.07.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 02 घण्टों में लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त एवं 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गयी स्विफ्ट कार, 8,000/- रुपये एवं 01 आधार कार्ड बरामद।**

अवगत कराना है कि दिनांक 14.07.2024 की सुबह वादी श्री आरिफ पुत्र रमजान निवासी मो0 किला नवाबगंज थाना कोतवाली शहर जनपद सहारनपुर द्वारा प्रतिवादीगण 1.शान्तनु पवार पुत्र कुलदीप सिंह निवासी ग्राम टिकरौल थाना नानौता जनपद सहारनपुर, 2.शिवानी पुत्री सतपाल निवासी ग्राम धर्मवाला जिला देहरादून (उ0ख0) एवं एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी को पिस्टल दिखाकर उसके साथ मारपीट कर उसका पर्स जिसमें उसका आधार कार्ड व करीब 08 हजार रुपये व अन्य कागजात थे व एक मोबाईल फोन सैमसंग एवं 01 गाडी स्विफ्ट डियाजर नं0 यू0पी0 15 एएफ 2291 को लूटकर ले जाने के संबंध में लाकर दाखिल की। जिसके सम्बन्ध में थाना नानौता पर तत्काल मु0अ0सं0 161/24 धारा 309(6) बीएनएस पंजीकृत कर अभियुक्तगण की तलाश शुरू की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना का सफल अनावरण व इसमें संलिप्त अपराधी की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.07.2024 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त की घटना का सफल अनावरण करते हुए तीनो अभियुक्तगण 1.शान्तनु पवार पुत्र कुलदीप सिंह निवासी ग्राम टिकरौल थाना नानौता जनपद सहारनपुर, 2.शिवानी पुत्री सतपाल निवासी ग्राम धर्मवाला जिला देहरादून (उ0ख0) एवं 3. अर्जुन पुत्र संजीव निवासी ग्राम टिकरौल थाना नानौता जनपद सहारनपुर को ग्राम सकरुल्लापुर से गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में लूटी गयी गाडी स्विफ्ट डियाजर, कुल नगदी 8000 रुपये एवं 01 आधार कार्ड बरामद किये गये। मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि कर विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने बताया कि हम कल सहारनपुर में होटल में रुक थे और वहां से नानौता के लिये टैक्सी बुक कर ले आये थे। हमने नशा किया था और नानौता आकर नहर पुल के पास टैक्सी ड्राइवर के साथ मारपीट कर उसके डरा धमकाकर उससे उसका पर्स जिसमें 8000 रुपये थे व स्विफ्ट गाडी छीन ली थी और फिर अपनी रिश्तेदारी में छिपने के लिये आ गये थे कि पुलिस ने पकड लिया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

- 1.शान्तनु पवार पुत्र कुलदीप सिंह निवासी ग्राम टिकरौल थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- 2.शिवानी यादव पुत्री सतपाल पत्नी शान्तनु निवासी ग्राम धर्मवाला जिला देहरादून (उ0ख0उ)) हाल निवासी ग्राम टिकरौल थाना नानौता सहारनपुर
3. अर्जुन पुत्र संजीव निवासी ग्राम टिकरौल थाना नानौता जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण-**

1. स्विफ्ट डियाजर कार रजि न0 UP15AF2291
2. लूटे गये 8000 रुपये व आधार कार्ड (सम्बन्धित मु0अ0सं0 161/24 धारा 309(6)/317(2) (बीएनएस थाना नानौता)